



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 20.03.2024

**कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 85/2024 धारा- 302/452/34 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 85/2024 धारा- 302/452/34 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सुनील 2. सोनू गौतम व 3. 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सुनील कुमार पुत्र दयाराम निवासी राजेपुर राठौरी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. सोनू गौतम पुत्र दयाराम निवासी राजेपुर राठौरी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
3. 01 अभियुक्ता निवासी राजेपुर राठौरी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया साहब हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है और हम लोगो ने किसी को नहीं जलाया है ।

घटना का विवरण:- दिनांक 18.03.2024 को अभियुक्तगण द्वारा जमीन व पेड़ के विवाद को लेकर वादी की परिवारिक बहन श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी स्व० श्रीराम नि० भरेहपुर कोतवाली फतेहगढ़ के घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जला देने जिससे श्रीमती ज्ञान देवी की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री छविनाथ पुत्र प्रभुदयाल नि० तिलपई थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज की सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु०अ०सं०- 85/2024 धारा- 302/452/34 भादवि बनाम 1.सुनील 2. सोनू पुत्रगण दयाराम नि०गण राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 3. 01 अभियुक्ता 4. कैलाश पुत्र राजाराम नि० भरेहपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 20.03.2024 को अभियुक्तगण सुनील , सोनू व 01 अभियुक्ता को गिफ्तार किया गया ।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं०- 85/2024 धारा- 302/452/34 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू गौतम उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं०- 85/2024 धारा- 302/452/34 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्ता उपरोक्त:-

2. मु०अ०सं०- 85/2024 धारा- 302/452/34 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

## गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० हरिश्याम सिंह
2. उ०नि० मो० सरताज
3. का० कुशल पाल
4. का० शशिकान्त पाण्डेय
5. म०का० हिना

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 20.03.2024

**थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु०अ०सं- 74/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अंकुश पुत्र अजय सिंह निवासी राजन नगला भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

1. अंकुश पुत्र अजय सिंह निवासी राजन नगला भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

## बरामदगी का विवरण:-

1. 01 देशी तमंचा 12 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 12 बोर

## अभियुक्त अंकुश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 340/2023 धारा 307/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 369/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 74/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट ।

## गिरफ्तारी/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार
2. का0 संजीव कुमार
3. का0 वीरेश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - साइबर क्राइम पुलिस फतेहगढ़  
दिनांक :- 18.03.2024

**!! सावधान रहे सतर्क रहे !!**

शातिर साइबर अपराधियों द्वारा AI के माध्यम से WhatsApp व फोन नम्बर कॉल करके किसी परिजन/रिश्तेदार को गिरफ्तारी से बचाने या अस्पताल में एडमिट कराने के नाम पर पैसे की माँग की जा रही है, तो सर्वप्रथम अपने उस परिजन/रिश्तेदार से फोन पर सम्पर्क करें तथा साथ ही अपने स्थानीय थाने पर व साइबर हेल्पलाइन नं०- **1930** या **cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करायें। किसी भी दशा में रूपयों का लेन-देन न करें। जिससे साइबर धोखाधड़ी से बचा जा सके।

**सही जानकारी व सतर्कता ही बचाव है।**

फतेहगढ़ पुलिस











 GPS Map Camera

Pataunja, Uttar Pradesh, India  
7H33+JR2, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India  
Lat 27.250921°  
Long 79.553621°  
20/03/24 05:41 PM GMT +05:30



Google

